स./No.10/7/2006-जीवनांक(सी.आर.एस.)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मन्त्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
तार: जनगणना / REGGENLIND Tele-fax: 26100678 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: - 19 जून 2007

सेवा में

मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर – 302005 ।

विषय: सूचना के अधिकार नियमों के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र एवं जन्म पंजीयन रजिस्टर की प्रमाणित छापा प्रति देने हेतु मार्गदर्शन ।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.13/1/3/डी-16/डी.ई.एस./2004/1380 दिनांक 11.5.2007 का अवलोकन करें ।

2. इस संबंध में आपका ध्यान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17(1) की तरफ दिलाया जाता है जो कि निम्न है –

17 जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी – (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय से संबंध नियम भी है, कोई व्यक्ति –

(क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा; तथा

(ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा ;

परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा ।

3. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत तो उपरोक्त व्यवस्था है लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी देने का निर्णय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के तहत नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों विशेषकर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत करनी चाहिए ।

भवदीय

(हरविन्दर सिंह)
उपमहारजिस्ट्रार